छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 221/2006</u>

श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव **द्वितीय तल, 3–एम.आई.जी.** **हाउसिंग बोर्ड, पंजाबी कालोनी,** **कटोरातालाब, रायपुर (छत्तीसगढ़)**	....	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, **कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,** **बस्तर रेंज,** **जगदलपुर (छत्तीसगढ़)**	....	**प्रतिअपीलार्थी**

:: आदेश ::
(5 अगस्त 2006)

यह प्रकरण अपलार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी–कटोरातालाब, रायपुर के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर के आदेश दिनांक 7–6–2006 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर से दिनांक 1–5–2006 के द्वारा प्रधान आरक्षक एवं उप निरीक्षक के रिक्त पदों के संबंध में जानकारी चाही साथ ही एक अन्य आवेदन दिनांक 1–5–2006 जन सूचना अधिकारी को प्रस्तुत कर जानकारी चाही। अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में बतलाया कि उसे निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर को की गई। पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा अपील की सुनवाई न कर सूचना अधिकारी के माध्यम से ही अपील का आवेदन निरस्त करने का पत्र जारी किया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई।

आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी, सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्देश देने के पश्चात् भी अपीलार्थी को जानकारी नहीं देने के कारण जन सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया कि उसके विरूद्ध क्यों न रूपए 10,000/– (रूपए दस हजार) का अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रतिअपीलार्थी, अपीलीय अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि आवेदक ने अपने प्रथम आवेदन में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा वर्ष 2005 की परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही थी। द्वितीय आवेदन में उसने बस्तर रेंज में तैनात बल के संबंध में तथा पदोन्नति के संबंध में जानकारी चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेजों के

गोपनीय होने के कारण नहीं दिये गये। द्वितीय आवेदन में आवेदक ने बस्तर रेंज में तैनात बल की संख्या मांगी थी। बस्तर रेंज नक्सल प्रभावित है, अतः उससे संबंधित जानकारी सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाना उचित नहीं माना गया। इसी आवेदन पत्र में पदोन्नति से संबंधित जानकारी भी चाही गई थी, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार नहीं दी जाना चाहिए थी। अतः जानकारी प्रदान नहीं की गई। कारण बताओ नोटिस के संबंध में जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि पुलिस महानिरीक्षक ने उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां आवेदक को दिये जाने के निर्देश दिये थे। उक्त निर्देश जन सूचना अधिकारी के द्वारा अध्यक्ष, परीक्षा चयन समिति – श्री टी.जे. लांगकुमेर, पुलिस उप महानिरीक्षक, कैम्प–दंतेवाड़ा से प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा गया, किन्तु उनकी ओर से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अतः जन सूचना अधिकारी इसके लिए दोषी नहीं है। जन सूचना अधिकारी ने श्री लांगकुमेर को भेजे गये पत्र की छायाप्रति भी जवाब के साथ प्रस्तुत की।

मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार किया गया तथा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के तर्को को सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलीय अधिकारी के द्वारा स्वयं आदेश पारित नहीं किया गया वरन् जन सूचना अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय जगदलपुर के द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में 7–6–2006 को आदेश दिया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपील की सुनवाई स्वयं पुलिस महानिरीक्षक, जगदलपुर को करनी थी,तथा उनके द्वारा आदेश पारित करना था। पुलिस महानिरीक्षक के जन सूचना अधिकारी के अपील का निराकरण किया जाना अवैधानिक एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

प्रकरण में स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा सहायक उप निरीक्षक वर्ष 2005 के परीक्षा परिणाम जानने के संबंध में तथा द्वितीय आवेदन पत्र में वर्ष 2005 में 1–1–2005 की स्थिति में रेंज में प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पदों की स्थिति वर्ष 2006 में 1–1–2006 की स्थिति में रेंज में प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पदों की स्थिति एवं संख्या वर्ष 2003, 2004, 2005 एवं 2006 में आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर की गई पदोन्नति का वर्षवार एवं वर्गवार ब्यौरा तथा प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक रोस्टर रजिस्टर की प्रति चाही गई थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी ने परीक्षा चयन समिति के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे अपीलार्थी को वांछित जानकारी दें। चूंकि वांछित जानकारी अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुई तथा अपीलीय अधिकारी ने भी स्वयं सुनवाई नहीं की, इस कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। प्रतिअपीलार्थी का उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में कथन किया है कि यह गोपनीय है मान्य किया जाता है। अपीलार्थी को परीक्षा के बाद परिणाम जानने का अधिकार है। किंतु परीक्षा की गोपनीयता की दृष्टि से उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां अपीलार्थी को नहीं दी जा सकती है एवं प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति का वर्षवार विवरण अपीलार्थी को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसी के साथ–साथ प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक के पदों के आरक्षण रोस्टर की प्रति भी अपीलार्थी को प्राप्त करने का अधिकार है। दिनांक 1–1–2005 एवं 1–1–2006 की स्थिति में रेंज में प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पदों की संख्या सूचित किये जाने में आपत्ति नहीं होना चाहिए। रिक्त पदों की

जानकारी विभागीय पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति को प्रदान की ही जाती है। अतः इसे गोपनीय मानने का आधार नहीं है। चयन समिति अपीलार्थी बस्तर रेंज में कहां किसको पदस्थ किया गया है, तथा किस स्थान पर कितना पुलिस बल तैनात किया गया है, इसकी जानकारी नहीं मांग रहा है। वरन् रिक्त कुल पदों की स्थिति मांग रहा है अतः नक्सली प्रभावित क्षेत्र के पुलिस बल की पदस्थापना की गोपनीयता भंग नहीं होती है।

अतः उपरोक्त वांछित जानकारी अपीलार्थी को यदि पूर्व में नहीं दी गई हो तो 15 दिन के अंदर निःशुल्क दिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं देने के उद्देश्य से सूचना नहीं दी गई। अतः जन सूचना अधिकारी को जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। जन सूचना अधिकारी ने आयोग के समक्ष स्पष्ट किया है कि उत्तरपुस्तिकाओं को छोड़कर शेष जानकारी अपीलार्थी को दी जा चुकी है। किन्तु यह जानकारी विलम्ब से दी गई है एवं अपीलार्थी को इस कारण आर्थिक एवं मानसिक यातना हुई है। अतः अपीलार्थी को पुलिस विभाग के द्वारा 500/– रूपए (पांच सौ रूपए मात्र) की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्देश के साथ अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त